

## **\*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.04.2021 जनपद देवरिया\***

दिनांक 07.04.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

### **\*01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-\***

➔थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.प्रकाश पुत्र सुकुरा सा0 माण्डर थाना माण्डर जिला रांची, झारखण्ड** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.गिरजेश मद्धेशिया पुत्र सुरेन्द्र मद्धेशिया सा0 बरवा उपाध्याय थाना खुखुन्दू देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.विनोद राय पुत्र कृपा राय सा0 बरवांमीर छापरा थाना रामपुर कारखाना देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त **01.कपिलदेव प्रसाद पुत्र बलदेव प्रसाद सा0 धनौती कला थाना बरियारपुर देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

### **\*02.थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज तमंचा के साथ 01अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-\***

दिनांक 07.04.2021 को थानाध्यक्ष तरकुलवा मय फोर्स देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर मुछैला तिराहे के पास एक व्यक्ति को एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता **01.आनन्द कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार गौड़ सा0 चनहट्टा थाना तरकुलवा देवरिया** बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद करते हुये तरकुलवा पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त

### **\*03-थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया:-\***

दिनांक 07.04.2021 को थानाध्यक्ष खुखुन्दू मय हमराही क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति बीजापुर झंगटौर जाने वाले मार्ग पर जुआ खेल रहे है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा बताये गये पते पर दबिस दिया गया जहाँ 04 लोग पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा दौडाकर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम **01.मुन्ना यादव पुत्र अदालत यादव सा0 वीरपुर मिश्र थाना खुखुन्दू देवरिया 02.मेवालाल पुत्र रामवृक्ष सा0 रुस्तमपुर थाना खुखुन्दू देवरिया 03.राजेन्द्र गुप्ता पुत्र देवशरण गुप्ता सा0 भलुअनी थाना भलुअनी देवरिया 04.नितेश कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार सा0 शेरपुर थाना रामपुर सहारनपुर हा0प0 महुई श्रीकान्त थाना खुखुन्दू देवरिया** बताये व उनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते, मालफड़ में 19100 रुपये व जामातलाशी के 40 रुपये बरामद किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना खुखुन्दू पर अपराध धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

### **\*05-निरोधात्मक कार्यवाही-\***

दिनांक 07.04.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

- ➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 18 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।
- ➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 3/4 गुण्डा अधि० के अन्तर्गत 09 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

**\*06-जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-\***

दिनांक 07.04.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शांतिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

- ➡ वाहन चेकिंग के दौरान 95 वाहनों से 1,06,000/- रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।